#2024/26

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

बाबूलाल बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :- ~~2023~~ 31/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	05/02/24	पत्रावली तहसीलदार, आमेर के पत्रांक क्र. अ/ ~~2024~~ 2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवों के संग का प्राप्त हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी के दि 13/02/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला– जयपुर	प्रि० व गुलाम
	13/02/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र, तहसीलदार, आमेर एवं आवेदन के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल हुआ। दाखिल [illegible] [illegible] से [illegible] हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी आमेर, जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :– 31/2024
जीसीएमएस नं0 :–2024/26
उनवान :– बाबुलाल बनाम सरकार

::– आदेश –::

दिनांकः 13/02/2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ./2024/86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा0पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कवंरपुरा, पटवार हल्का कवंरपुरा, तहसील आमेर की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 83, 170, 200, 27, 175, 203 में में बाबूडा पुत्र भूरा एवं बाबूलाल पुत्र भूरा के स्थान पर बाबुलाल पुत्र भूराराम शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर